# विवेकानंद

# शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय

मनेन्द्रगढ़, जिला - कोरिया (छत्तीसगढ़)

# प्रवेश विवरणिका

2015-16


**VIVEKANAND GOVERNMENT P.G. COLLEGE**

Manendragarh, Dist. - Koria (C.G.) 497442

Tel. : 0771-241250, E-mail : vivekanandcollage1973@gmail.com


Price : 60/-

# विवेकानंद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मनेन्द्रगढ़,

## जिला : कोरिया (छ.ग.)

# प्रवेश विवरणिका

1. आवेदन पत्र भरने से पूर्व विवरणिका को ध्यान से पढ़ें ।
2. आवेदन पत्र में अपना संपर्क नं. अवश्य लिखें ।

# अनुक्रमणिका


| | | |
|---|---|---|
| 1. | महाविद्यालय का परिचय | 1 |
| 2. | महाविद्यालय में पढ़ाये जाने वाले संकाय एवं विषय समूह | 2 |
| 3. | विषय समूह में निर्धारित सीटों की संख्या | 4 |
| 4. | महाविद्यालय में सुविधाएँ | 6 |
| 5. | प्रवेश संबंधी नियम | 10 |
| 6. | महाविद्यालय में शासन द्वारा निर्धारित प्रवेश संबंधी नियम | 13 |
| 7. | छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिये आचरण–संहिता | 23 |
| 8. | रैगिंग संबंधी परिनियम | 25 |
| 9. | प्राध्यापक एवं कर्मचारियों की सूची, जनभागीदारी अध्यक्षों की सूची तथा छात्र संघ अध्यक्षों की सूची | 27 |
| 10. | वार्षिक शुल्क विवरण | 28 |

**परिशिष्ट** – प्रवेश आवेदन फार्म, शपथ पत्र, एन.एस.एस.फार्म, एन.सी.सी.फार्म

# प्राचार्य की कलम से ....

सिद्धबाबा की पहाड़ी के तले सुरम्य, सुंदर हरे-भरे वृक्षों के निकट विवेकानंद महाविद्यालय ज्ञान की आभा रश्मियों को बिखेर रहा है । 1105 विद्यार्थी इसका इस सत्र में लाभ प्राप्त कर रहे हैं । कोल फील्ड्स से ज्यादा विद्यार्थी यहां आते हैं । यहाँ छात्रों को जो सुविधायें प्राप्त है उनमें प्लेग्राउण्ड, छात्रावास, पीने के पानी की सुविधा, अच्छे अध्ययन कक्ष, लैब, लायब्रेरी, स्पोर्ट्स सुविधा, एन.सी.सी., एन.एस.एस., रेडक्रास, 4 विषयों में पी.जी., कला, विज्ञान, वाणिज्य में स्नातक कक्षायें में विशेष विषयों में - गृह विज्ञान, संगीत, भूगर्भशास्त्र है । छात्रों को आई कार्ड, लायब्रेरी कार्ड भी देय है । छात्रों को कुछ छात्रवृत्तियां तथा अनुसूचित जाति, जनजाति के छात्रों को शासन द्वारा देय कुछ सुविधायें भी प्राप्त है । जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष श्री सरजू यादव जी हैं जो छात्र-हित में निरंतर संलग्न रहते हैं ।

इस वर्ष हम प्रयासरत है कि शीघ्र ही यहाँ एक भव्य गेट, बाउण्ड्रीवाल बन जाये । यहाँ एल.एल.बी तथा विज्ञान एवं कला के विविध विषयों में पी.जी. कक्षायें खुल जायें । इस महाविद्यालय के लिए वर्ष 1973, 1975, 1982, 2006 एवं 2008 ज्यादा उपयोगी सिद्ध हुए हैं । वर्ष 2015 एवं 2016 भी शुभ हो ऐसी मेरी अभीच्छा है । छात्र-हित में इस वर्ष महाविद्यालय में कैमरे लग चुके हैं । पीने के वाटर कूलर 3 सक्रिय हो चुके हैं । छात्रावास में एक हैण्ड पंप सुधारा जा चुका है ।

प्रोजेक्टर द्वारा चुने हुए विषयों में अध्यापन कराये जायेंगें । इस वर्ष ग्रीन बोर्ड एवं स्मार्ट बोर्ड हर कमरे में लगाए जा चुके हैं, बिजली की व्यवस्था का दुरूस्तीकरण जारी है, छात्रावास में हैंड पम्प दुरूस्त कर दिया गया है, परंतु फिर भी पानी की सुयोग्य व्यवस्था करने के लिए प्रयत्न जारी है । यहां के नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा मनमानी की जाती है । कभी इस क्षेत्र के नलों में तीन-तीन दिनों तक पानी हेतु लाईन खोली ही नहीं जाती । कभी सुबह लाईन खोली ही नहीं जाती, कभी सुबह लाईन खोलते हैं, कभी दोपहर को छात्रावास के छात्रों को पानी ठीक से नहीं मिल पाता है । शिकायत करने पर भी कर्मचारी मनमानी करते रहते हैं । यह एक दुःखद सत्य है । नगर निगम के निर्वाचित अध्यक्ष श्री राजू केशरवानी जी बहुत अच्छे हैं, तुरंत पानी की व्यवस्था करवा देते हैं, परंतु कर्मचारी क्यों पाईप लाईन नहीं खोलते, यह समझ से परे है । हमारे विधायक श्री जायसवाल जी महाविद्यालय के हित में लगे रहते है ।

छात्र-छात्राओं को 11.30 से 2.00 बजे के बीच ही पढ़ने की आदत में सुधार करना चाहिए तथा अपनी समस्याओं का निदान प्राध्यापकों/सहायक प्राध्यापकों से मिलकर करना चाहिए । छात्र-छात्रायें अपनी मार्कशीट स्वयं लेवें, स्वयं अपने फार्म भरें, स्वयं आई कार्ड लेवें, स्वयं अपने लायब्रेरी कार्ड लेवें, एन.सी.सी. एवं एन.एस.एस. में स्वयं रजिस्ट्रेशन करायें किसी दूसरे छात्र या अपने परिजन के माध्यम से यह काम करवाने से बड़ी चूक हो जाती

है तथा गलत विषय भरना, दूसरा कोई मार्कशीट, टी.सी., प्रवेश पत्र ले जाता है। फीस के पैसे कोई अन्य जमा नहीं करता है और फिर परेशान होते है। छात्रायें एवं छात्र अपना काम स्वयं करें तो अच्छा होगा तथा उनमें आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। छात्रायें अपने मोबाइल नंबर किसी को सोच-समझ कर ही देवें। मोबाइल में गलत मैसेज आने पर पुलिस में शिकायत करें। छात्रायें स्वयं अपनी मदद छात्राओं की मदद लेकर करें तथा स्वयं को अपनी रक्षा हेतु आपसी सहयोग कर आत्मनिर्भर बनें। छात्रायें अपनी समस्याएं महिला प्राध्यापिकाओं को अवश्य बतलायें तथा अपने परिजनों से कुछ भी न छुपायें क्योंकि परिजन एवं पुलिस ही उनके मुख्य सहयोगी साबित होंगें।

हम महाविद्यालयीन परिवार हैं। हम लोग मिलकर ही महाविद्यालय को विकास की ओर ले जाने में समर्थ होंगें। प्रथम वर्ष के छात्र नामांकन फार्म, एन.सी.सी. तथा एन.एस.एस फार्म अवश्य भरें। कोई भी विषय लेने से पूर्व सुनिश्चित कर लेवें की कौन से विषय लेकर उन्हें पढ़ना है क्योंकि अगले तीन वर्षो में विषय परिवर्तन नहीं किये जा सकेंगें।

मैं सभी छात्र-छात्राओं को नये सत्र 2015-16 हेतु शुभकामनायें देता हूँ तथा आशा करता हूँ कि उनका भावी जीवन सुखद एवं मंगलमय हो तथा साथ ही अपेक्षा भी करता हूं कि वे उच्चतर ऊँचाईयों को छुये, ईश्वर, अल्ला, गॉड, सिख गुरू, गौतम बुद्ध, महावीर, घासीदास, कबीर तथा अन्य शक्तियां उनके अभ्युत्थान में मदद करें।

**डॉ. सुभाष दत्त झा**

प्राचार्य

# मुझे जानें - मैं महाविद्यालय हूँ...

शासकीय विवेकानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय मनेन्द्रगढ़ उच्चतर शिक्षा का एक सुयोग्य केन्द्र है। इसके जन्म एवं विकास के चार स्तर है -

1. प्रथम स्तर - कोचिंग केन्द्र के रूप में
2. द्वितीय स्तर - प्राईवेट महाविद्यालय के रूप में
3. तृतीय स्तर - शासकीय स्नातक महाविद्यालय के रूप में
4. चतुर्थ स्तर - शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के रूप में

प्रथम स्तर के रूप में इसका जन्म 3 जुलाई 1973 ई. में मनेन्द्रगढ़ की मारवाड़ी धर्मशाला अर्थात् राजस्थान भवन के हाल में हुआ, उस समय शाम के पांच बजे थे। सेठ श्री श्याम लाल जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। उस समय 63 छात्र-छात्राओं ने महाविद्यालय में प्रवेश लिया। यह उस समय एक कोचिंग केन्द्र के रूप में प्रारंभ हुआ था। आज यह स्नातकोत्तर महाविद्यालय है। सब जगह 5 विषयों में पी.जी. होने पर यह दर्जा मिलता है परंतु यहां 4 विषयों में पी.जी. होने पर भी यह दर्जा प्राप्त है।

जुलाई 1974 में यू.जी.सी. अर्थात् विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा अनुदान आयोग भोपाल ने इसे महाविद्यालय के रूप में मान्यता दी। पं. रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा भेजी गई निरीक्षण समिति ने 10 अगस्त 1974 को महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रदान की।

महाविद्यालय हेतु एक नये भवन की तलाश की जाने लगी। श्री परमानंद जी ताम्रकार ऐसे समय में आगे आये और उन्होंने महाविद्यालय हेतु 2 एकड़ जमीन अर्पित की। श्री सुन्दरलाल तथा श्री हजारीलाल जी ने भी कुछ जमीन देने की घोषणा की। इसी जमीन पर 17 जुलाई को शाम 7.00 बजे श्री श्याम लाल अग्रवाल जी ने 1974 ई. को बुधवार के दिन महाविद्यालय के भवन की भूमि पूजन की प्रक्रिया पूर्ण की। दिनांक 21.12.1974 से 25.02.1975 तक भवन बनता रहा और अंतत: निर्मित होकर हमारे सामने खड़ा था। अप्रैल 1974 से स्थानांतरित होकर यह नये भवन में आ गया। यह नया भवन वर्तमान में पुराना भवन कहलाता है जो अपने उदर में पुरानी यादों को समेटे हुए है यहां के नागरिकों एवं प्रबुद्धजनों के कृत्यों के बुद्धिजीवी कदमों को आज भी मधुर झनकार के रूप में स्मरण करता है।

श्री कैलाश चंद गुप्ता, श्री श्याम लाल तथा श्री राम नारायण शर्मा जी द्वारा महाविद्यालय में अध्यापन कक्षों तथा कार्यालय के कक्षों को स्व व्यय से बनवाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। धीरे-धीरे यह प्रगति की राह पर बढता ही चला गया। मार्च 1975 में यहां परीक्षा केन्द्र बनाने की स्वीकृति मिली। 1978-79 में यहां चहारदिवारी बनायी गई थी। पहले यह केवल कला संकाय वाला महाविद्यालय था।

1 अक्टूबर 1982 को माननीय मोतीलाल वोरा, शिक्षा मंत्री के समय यह शासकीय महाविद्यालय बन गया। 1983-84 में यहां विज्ञान संकाय खुला तथा 1986-87 में वाणिज्य संकाय, गृह विज्ञान तथा एम.ए. की कक्षायें प्रारंभ की गई।

श्री तेजा सिंह जी ने यहां रसायन विज्ञान की लेबोरेटरी बनवाई। 1987-88 ई. में यहां भू-गर्भ शास्त्र की कक्षायें खुल गई। 1988-89 ई. में एस.ई.सी.एल. ने 4 अध्यापन कक्ष बनवाने में सहयोग दिया।

राजस्व विभाग ने 17.34 एकड़ जमीन देकर नये भवन के लिए एक अच्छी तथा बडी जगह प्रदान कर दी जिस प 08.07.2006 ई. को शनिवार के दिन से नया भवन बनने के शुभारंभ के साथ निर्माण की प्रक्रिया में आ गया जो 27.03.200 को ही यह लोकर्पित कर दिया गया।

इस महाविद्यालय में 4 विषयों में पी.जी.कक्षायें चल रही हैं जिसमें रसायन विज्ञान एम.एस.सी., राजनीति विज्ञान एम.ए., समाजशास्त्र एम.ए. तथा वाणिज्य में एम.काम है। स्नातक कक्षाओं में गृह विज्ञान, संगीत, इतिहास राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, हिन्दी अंग्रेजी में कला संकाय, वाणिज्य संकाय तथा विज्ञान संकाय में रसायन जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा गणित जारी है। यहां भू-गर्भ शास्त्र भी स्नातक स्तर तक पढाया जाता है।

नक्शे में मनेन्द्रगढ़ 23.1922 अक्षांश 82.2003 पूर्व देशांश में मध्य में अवस्थित है। मनेन्द्रगढ एक तहसील स्त का नगर है। यह 10 वर्गकिलोमीटर क्षेत्र में स्थित है इसकी जनसंख्या 33071 है जो 2011 की जनगणना के आधार प आधारित है। यह जिला कोरिया तथा छत्तीसगढ राज्य में अवस्थित है। यहां पर कोरिया के राजा की बडी कृपा रही है उन की स्वप्रेरणा से यह नगर अस्तित्व में आया था। कहा जाता है कि पहले यहां जंगल ही जंगल फैला हुआ था। शेर, भा हिरण, सुअर आदि बहुत थे। एक बार राजा यहां के कारी माटी क्षेत्र में शिकार पर आये जो वर्तमान झगराखंड क्षेत्र में स्थि था वहां आग लग गई फलत: राजा ने सडक के किनारे 15x60 के बहुत से घर बनवाये तथा 1930 में अपने तृतीय प मनेन्द्र प्रताप सिंह के नाम से मनेन्द्रगढ़ नगर का निर्माण किया। पहले उन्होंने धर बनवाकर मुफ्त में बांटे थे। धीरे-ध लोग आते गए ओर कारवां बढता गया। मनेन्द्रगढ में एक रेलवे स्टेशन, एक बस स्टैण्ड, एक एस.ई.सी.एल. का ब हास्पिटल, एक सामुदायिक चिकित्सालय, एक अंध मूक बधिर स्कूल, एक टाकीज (खेडिया), एक अनाथालय, एक च एक सरस्वती कन्या महाविद्यालय, एक स्नातकोत्तर विवेकानंद महाविद्यालय, एक एस.ई.सी.एल. आफिस, एक तहस आफिस, एक वनमंडल कार्यालय, एक आर.एस.एस. कार्यालय, एक समृद्ध मार्केट, एक फासिल्स पार्क, तथा अन्य अ दर्शनीय स्थल भी है। ये सब दिल को मोह लेते है। यहां तथा इसके नजदीक अनेक दर्शनीय स्थल हैं जो प्राकृतिक सुंद के साथ-साथ आपको धर्म, अर्थ, ज्ञान, संस्कृति एवं मनोरंजन के अनेक स्थलों की भरपूर जानकारी देते हैं। प्रमुख दर्श स्थलों को हम इस प्रकार नामांकित कर सकते हैं :-

1. सिद्ध बाबा की पहाड़ी में शिव, भद्रकाली, गणेश जी तथा हनुमान जी भव्य मूर्तियां है। यहां शिवरात्रि को एक मेला भी लगता है।

2. महाविद्यालय के पास पहाड़ की एक गुफा का हनुमान मंदिर।
3. हसिया नाला के पास पंचमुखी हनुमान मंदिर। वहीं एक पुराना हनुमान मंदिर भी है। यह मंदिर अयोध्या से सीधे नियंत्रित है। यहां प्रतिवर्ष एक बड़े भोज का आयोजन भी किया जाता है।
4. हसदेव नदी के किनारे पुराने फासिल्स दर्शनीय है। यही एक प्रसिद्ध हनुमान जी तथा शिव जी की अच्छी मूर्तियां भी है।
5. स्टेशन के पास भव्य काली जी का मंदिर है।
6. रेस्ट हाउस के पास भव्य सांई मंदिर है।
7. राम मंदिर को यहां निर्मित हुए 50 वर्ष हो गए है। भव्य राम मंदिर में राम सीता एवं लक्ष्मण की भव्य मूर्तियां है।
8. सांई मंदिर का एक तिराहा भी है जो मार्केट का एक सुंदर स्थल है।
9. छोटे मंदिर बहुत से हैं जिसमें हनुमान जी, गणेश जी, कृष्ण जी, शिव जी एवं देवी जी के बहुत से मंदिर है।
10. सिखों का एक बड़ा गुरूद्वारा है जो बड़े सरदार जी द्वारा निर्मित कराया गया है।
11. एक मिशन स्कूल, (चर्च प्रोटेस्टैंट एवं कैथोलिक) भी हैं। आमाखेड़ा चर्च, सेंट्रल चर्च, मोहरपारा चर्च।
12. यहां लगभग 3 या 4 मस्जिदें एवं दो-तीन मजारें भी है - मोहरपारा मस्जिद मजार, अरवबाबा मजार।
13. नजदीक के दर्शनीय स्थलों में जगन्नाथ मंदिर चिरमिरी
14. छिपछिपी देवी।
15. सिरौली का हनुमान मंदिर लगभग 10 किलोमीटर दूर।
16. राजनगर का काली मंदिर।
17. रतनपुर खड़गवां का देवी मंदिर।
18. अमृतधारा प्रपात।
19. शिवधारा अर्थात् जो केल्हारी के पास 15 किलोमीटर दूर तथा मनेन्द्रगढ़ से लगभग 40 किलोमीटर दूर।
20. करम घोंघा जल प्रपात - यह बोरीडांड के पास स्थित है।
21. यहां हसदेव एवं विशाल वोरा नदियों का संगम भी है।
22. आस-पास कोयले की खदानें हैं जो ओपन तथा क्लोज दोनों प्रकार की है।
23. कुछ संकरे तथा कुछ बडे पुल भी दर्शनीय है।
24. एक चंदन वन दर्शनीय है। यह लाई ग्राम के पास है।
25. पिकनिक स्पॉट अनेकों है।
26. वनवासी आश्रम भी प्रेरणास्पद है।

मनेन्द्रगढ़ में अनेकों प्राचार्यो ने महाविद्यालय को आगे बढाने में अपने-अपने ढंग से अनेकों कार्य किये है लेकिन उनके कार्यो का विवरण नहीं दिया जा सकता। अतएव उनके नामों का उल्लेख ही किया जा सकता है।

**प्राचार्यो के नामों की सूची - संलग्न**

**छात्रसंघ अध्यक्षों के नामों की सूची - संलग्न**

**जनभागीदारी समिति के अध्यक्षों की सूची - संलग्न**

महाविद्यालय में एन.सी.सी. की यूनिट है जो कि श्री अशोक वर्मा के प्रभार में सुयोग्यता से संचालित है। महाविद्यालय में एन.एस.एस. की दो यूनिट्स हैं जिसमें महिला विंग की प्रभारी श्रीमती श्याम सरोजबाला बिश्नोई है तथा पुरूष विंग के प्रभारी की बृजलाल साहू जी है। यहां एक रेडक्रास इकाई भी है। यहां एक जनभागीदारी समिति भी है जो महाविद्यालयीन कार्यो में सहयोग देती है इसमें 22 सदस्य मनोनीत है। इसके अतिरिक्त महाविद्यालयीन कार्यो में सहयोग एवं कार्य संचालन हेतु 30 से ज्यादा समितियां भी क्रियाशील है जिसमें -

1. छात्रसंघ प्रभारी एवं छात्र संघ समिति
2. छात्र प्रवेश समिति
3. रैगिंग निरोधक समिति
4. महिला अत्याचार निरोधक समिति
5. एन.सी.सी. समिति
6. एन.एस.एस. समिति
7. नैक कार्य संपादन हेतु अनेकों सहायक समितियां
8. अंकेक्षण समिति
9. जनभागीदारी समिति
10. अनुशासन समिति
11. खेल समिति
12. ए.एफ. कमेटी
13. छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति, जनजाति समिति
14. शिकायत निवारण समिति
15. परीक्षा समिति
16. टाईम टेबल समिति
17. प्रोक्टर
18. लायबेरी समिति
19. क्रय समिति
20. विक्रय समिति
21. राईट ऑफ कमेटी
22. वाद-विवाद, प्रश्न मंच, निबंध लेखन एवं सांस्कृतिक समिति
23. छात्रावास कमेटी
24. विज्ञान समिति
25. वाणिज्य समिति
26. कला समिति
27. स्नातकोत्तर समिति
28. विभागीय आडिट कमेटी
29. राष्ट्रीय दिवस उत्सव समिति
30. रेडक्रास समिति
31. पर्यटन समिति
32. महाविद्यालयीन फर्नीचर एवं स्टोर समिति
33. पर्यावरण एवं संरक्षण समिति
34. स्वच्छता समिति
35. विद्युत, टेलीफोन एवं कम्प्यूटर समिति
36. कुछ अन्य समितियां भी हैं।

इस महाविद्यालय के नामकरण का सुझाव सर्वप्रथम जिस व्यक्ति ने दिया था उनका नाम था माननीय श्री पृथ्वीराज अरोरा जिसे समिति के सभी सदस्यों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया था।

इस महाविद्यालय को नगर पालिका परिषद के भवन के एक कक्ष के प्रयोग की सहमति जिस व्यक्ति ने दी थी उन सम्माननीय व्यक्ति का नाम है - डॉ. जे.सी. सरकार। ये नगर पालिका अध्यक्ष थे। सर्वप्रथम महाविद्यालय का प्रथम कार्यालय इसी नगर पालिका परिषद का यही भवन था। यहीं सर्वप्रथम प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, यह भी उल्लेखनीय सत्य है कि सर्वप्रथम प्रवेश प्राप्त करने वाले छात्र का नाम भी आप जानना चाहेंगें। जी हां प्रथम प्रविष्ट छात्र का नाम था - श्री निर्मल कुमार बोथरा जो माननीय श्री किशन लाल जी बोथरा के सुपुत्र थे जो 1998 से राजस्थान में रहने लगे थे।

अध्ययन-अध्यापन के लिए भवन की समस्या का समाधान श्री हरी प्रसाद अग्रवाल जी ने हल कर दिया था उन्होंने ही मारवाड़ी धर्मशाला के प्रथम तल में स्थित भवनों के प्रयोग की अनुमति दे दी। इसी में राजस्थान भवन सभा कक्ष सर्वप्रथम अध्ययन-अध्यापन कक्ष का शुभारंभ कर्ता कक्ष बन गया। गो मुख गंगा के प्रारंभ का जिस प्रकार छोटा स्त्रोत था लेकिन बाद में विशाल गंगा नदी में बदल गया वैसे ही आज हमारा महाविद्यालय 17.34 एकड़ में खड़ा विशाल भवन है।

इस महाविद्यालय को साकार करने वाले पहलकर्त्ताओं में जिन नामों का स्मरण करना बेदह जरूरी है उनमें -

1. श्री पृथ्वीराज अरोरा
2. श्री सांवलिया प्रसाद सोनी
3. श्री श्रवण लाल कक्कड
4. स्व. श्री राम नारायण शर्मा
5. श्री शिवमंगल कुमार श्रीवास्तव
6. डॉ. रामनारायण शुक्ल बिलासपुर
7. स्व. डॉ.जे.सी. सरकार
8. श्री एस.के.श्रीवास्तव
9. श्री राम सिंह अधिवक्ता - समिति के अध्यक्ष
10. डॉ. जे.सी.सरकार - समिति के उपाध्यक्ष
11. श्री टेकचंद जैन - समिति के उपाध्यक्ष
12. श्री श्रवण लाल कक्कड -कोषाध्यक्ष
13. डॉ. राम नारायण शर्मा - सचिव
14. अन्य सदस्यों में डॉ. रामनारायण शुक्ल
15. श्री दुर्गा प्रसाद जायसवाल
16. श्री बाबूलाल जायसवाल
17. डॉ. प्रमोद त्रिवेदी
18. श्री विष्णु प्रसाद अग्रवाल
19. श्री श्रवण कुमार ताम्रकार
20. श्री ऋषभ कुमार जैन अधिवक्ता तथा
21. डॉ. राम जी लाल अग्रवाल आदि सदस्य थे
22. श्री श्याम सुंदर अग्रवाल
23. श्री आर.एन. गुप्ता
24. श्री आर.के. कुलमित्र
25. कार्यालयीन हेतु श्री पदम चंद अग्रवाल
26. भृत्य श्री हृदय राम गुप्ता जो आज भी सेवारत है।
27. श्री सुन्दर लाल
28. श्री हजारी लाल
29. सेठ श्री श्यामलाल जी अग्रवाल
30. श्री कैलाश चन्द गुप्ता
31. छात्र एम. सुभाष शर्मा
32. पूनमचंद अग्रवाल - अध्यक्ष
33. हरिचरण सिंह खनूजा - उपाध्यक्ष
34. कैलाश कुमार अग्रवाल - सचिव

35. कु. चित्र रेखादास - सहसचिव

36. गिरीश उपाध्याय - सांस्कृतिक सचिव

क्रमांक 31 से 36 के मध्य उल्लिखित छात्र-छात्राओं ने परीक्षा केन्द्र बनवाने हेतु 1000 रूपये इकट्ठे कर प्रेषित किये थे।

37. श्री कैलाश चन्द्र गुप्ता - फर्नीचर निर्माण हेतु

38. श्री हेमकरण अग्रवाल

39. श्री हरिप्रसाद बुधिया

40. श्री राम सिंह

41. सरदार सुरजीत सिंह

42. श्री हनुमान प्रसाद

43. श्री ज्ञान चन्द्र

44. श्री लाल चन्द (सूरजपुर)

45. श्री राधेश्याम वाटिया

46. श्री अमीर चन्द

47. छात्र संघ अध्यक्ष - सरदार बलवीर सिंह एव सहयोगी - चहारदिवारी हेतु

48. श्री हरी प्रसाद अग्रवाल - अनुदान स्वीकृत

49. श्री गुलाब गुप्ता

50. सरदार जसवीर सिंह - दीवार निर्माण

51. रामानुज अग्रवाल - शासनाधीन करवाना

52. श्री आर.पी.बगई (कलेक्टर सरगुजा)

53. श्री के.पी. शुक्ला

# शासकीय विवेकानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय मनेन्द्रगढ़

जिला कोरिया

के निर्माण कार्य का

# शुभारम्भ

माननीय - सुश्री लता उसेंडी, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
महिला एवं बाल विकास समाज कल्याण छ.ग.शासन के
मुख्य आतिथ्य में

एवं

माननीय - डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छ.ग. शासन
के अध्यक्षता में एवं

माननीय - श्री पुन्नूलाल मोहले,
सांसद बिलासपुर

माननीय - श्री गुलाब सिंह
विधायक, मनेन्द्रगढ़

के

विशिष्ट आतिथ्य में

शनिवार, दिनांक 08.07.2006 को सम्पन्न हुआ।

छत्तीसगढ शासन लोक निर्माण विभाग

# जिला कोरिया के विवेकानंद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भवन मनेन्द्रगढ़ का

# लोकार्पण

माननीय - डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी
उच्च शिक्षा मंत्री, छ.ग. शासन के
मुख्य आतिथ्य में

माननीय - श्रीमती रेणुका सिंह
उपाध्यक्ष, सरगुजा, जशपुर, कोरिया विकास प्राधिकरण
की अध्यक्षता में

माननीय - श्री रणविजय सिंह जूदेव
अध्यक्ष खेल एवं युवा आयोग छ.ग. शासन

माननीय - श्री गुलाब सिंह
विधायक, मनेन्द्रगढ़ विधानसभा

माननीय - श्री मनोज कुमार त्रिपाठी
अध्यक्ष जनभागीदारी समिति,
विवेकानंद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मनेन्द्रगढ़
के
विशिष्ट आतिथ्य में
शनिवार, दिनांक 27 सितम्बर 2008 को सम्पन्न हुआ।

# महाविद्यालय में पढ़ाये जाने वाले संकाय एवं विषय समूह

## कला संकाय

1. **बी.ए. भाग–एक**

   अ. अनिवार्य विषय - आधार पाठ्यक्रम के विषय हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा

   ब. पर्यावरण विज्ञान

   स. ऐच्छिक विषय - निम्नांकित विषयों में से किन्हीं तीन विषयों का चयन करें।

   1. हिन्दी साहित्य 2. समाज शास्त्र 3. राजनीति शास्त्र
   4. अर्थशास्त्र 5. अंग्रेजी साहित्य 6. गृहविज्ञान
   7. संगीत 8. इतिहास

   बी.ए. पाठ्यक्रम के तीनों वर्षों के लिये विषय एक ही होंगे, विषय परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जा सकेगा।

2. **बी.ए. भाग–दो**

   बी.ए. भाग-दो में वे ही विषय लेने होंगे, जो बी.ए. भाग-एक में लिये गये थे ।

3. **बी.ए. भाग–तीन**

   बी.ए. भाग-तीन में वे ही विषय लेने होंगे जो बी.ए. भाग-2 में लिये गये हो एवं महाविद्यालय के विषय समूह के अंतर्गत हो।

4. **स्नातकोत्तर कक्षाएं (एम.ए)**

   कला संकाय के निम्नलिखित विषयों में स्नातकोत्तर अध्ययन की व्यवस्था है -

   1. राजनीति शास्त्र 2. समाज शास्त्र

## विज्ञान संकाय

1. **बी.एस–सी. भाग–एक**

   अ. अनिवार्य विषय - आधार पाठ्यक्रम के विषय हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा

   ब. पर्यावरण विज्ञान

   स. ऐच्छिक विषय - निम्नलिखित विषय समूहों में से कोई एक समूह -

   1. भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, भूगर्भ शास्त्र।

   2. वनस्पति शास्त्र, प्राणिशास्त्र, रसायनशास्त्र।

2. **बी.एस–सी. भाग–दो**

   बी.एस.-सी. भाग-एक के लिये गये विषय ही लेना होगा।

3. **बी.एस–सी. भाग–तीन**

   बी.एस.-सी. भाग-दो में लिये गये विषय ही लेना होगा।

4. **एम.एस.सी. – रसायन शास्त्र पूर्व / अंतिम**

   अनिवार्य विषय

# वाणिज्य संकाय

1. **बी.काम. भाग–एक**
   - अ. अनिवार्य विषय - आधार पाठ्यक्रम - हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाष
   - ब. पर्यावरण विज्ञान
   - स. अनिवार्य समूह -
     1. वित्तीय लेखांकन एवं व्यावसायिक गणि
     2. व्यवसायिक संचार एवं व्यावसायिक नियम
     3. व्यावसायिक अर्थशास्त्र एवं व्यावसायिक

2. **बी.काम भाग–दो**
   - अ. अनिवार्य विषय - आधार पाठ्यक्रम - हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा
   - ब. अनिवार्य समूह -
     1. निगमित लेखा एवं लागत लेखांकन
     2. व्यावसायिक सांख्यिकीय एवं उद्यमिता के
     3. व्यवसाय प्रबंध एवं कम्पनी अधिनियम

3. **बी.काम. भाग–तीन**
   - अ. अनिवार्य विषय - आधारभूत पाठ्यक्रम - हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भ
   - ब. अनिवार्य समूह
     1. आयकर (प्रत्यक्ष कर)
     2. अप्रत्यक्ष कर
     3. प्रबंधकीय लेखांकन

     वैकल्पिक
     1. वित्तीय प्रबंध
     2. वित्तीय बाजार संचालन
     4. अंकेक्षण

4. **M.Com Privious**
   - (1) Managrial Economics ____ Compulsory
   - (2) Advanced Accounting ____ Compulsory
   - (3) Income Tax and Tax Planing ____ Compulsory
   - (4) International Marketing ____ Optional
   - (5) Financial Managment ____ Optional

4. **M.Com Final**
   - (1) Managrial Concepts adn Orgnization cehaviour ____ Con
   - (2) Statisical Analysis ____ Con
   - (3) Corporate legal frame work ____ Con
   - (4) Accounting for manageral Decisions ____ Opti
   - (5) Advanced cost accounting ____ Opti

# विषय समूह में निर्धारित सीटों की संख्या

| संकाय : स्तर/कक्षा | विषय | निर्धारित सीट संख्या |
|---|---|---|

## कला संकाय

### स्नातक :

| | | |
|---|---|---|
| बी.ए. भाग–एक | आधार पाठ्यक्रम, पर्यावरण अध्ययन हिन्दी साहित्य, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र, इतिहास, अंग्रजी साहित्य, गृहविज्ञान, संगीत ( सितार ) | 320 |
| बी.ए. भाग–दो | आधार पाठ्यक्रम, पर्यावरण अध्ययन हिन्दी साहित्य, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र | 320 |
| बी.ए. भाग–तीन | आधार पाठ्यक्रम, पर्यावरण अध्ययन, हिन्दी साहित्य, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र | 320 |

### स्नातकोत्तर :

| | | |
|---|---|---|
| एम.ए. पूर्व राजनीति शास्त्र | सभी अनिवार्य एवं एच्छिक विषय | 6 |
| एम.ए. पूर्व समाजशास्त्र | सभी अनिवार्य एवं एच्छिक विषय | 4 |
| एम.ए. अंतिम समाजशास्त्र | सभी अनिवार्य एवं एच्छिक विषय | 4 |
| एम.ए. अंतिम राजनीति शास्त्र | सभी अनिवार्य एवं एच्छिक विषय | 6 |

## वाणिज्य संकाय

### स्नातक

| | | |
|---|---|---|
| बी.काम. भाग–एक | सभी अनिवार्य एवं एच्छिक विषय | 1 |
| बी.काम. भाग–दो | सभी अनिवार्य एवं एच्छिक विषय | 1 |
| बी.काम. भाग–तीन | सभी अनिवार्य एवं एच्छिक विषय | 1 |

### स्नातकोत्तर

| | | |
|---|---|---|
| एम.काम. पूर्व | सभी अनिवार्य एवं एच्छिक विषय | 4 |
| एम.काम. अंतिम | सभी अनिवार्य एवं एच्छिक विषय | 4 |

# विज्ञान संकाय

## स्नातक

| | |
|---|---|
| बी.एस.सी. भाग–एक | आधार पाठ्यक्रम, पर्यावरण अध्ययन<br>भौतिक शास्त्र, गणित, वनस्पति शा<br>प्राणी शास्त्र, रसायन शास्त्र, भूगर्भ |
| बी.एस.सी. भाग–दो | आधार पाठ्यक्रम, पर्यावरण अध्ययन<br>भौतिक शास्त्र, गणित, वनस्पति शा<br>प्राणी शास्त्र,रसायन शास्त्र, भूगर्भ |
| बी.एस.सी. भाग–तीन | आधार पाठ्यक्रम, पर्यावरण अध्ययन<br>भौतिक शास्त्र, गणित, वनस्पति शा<br>प्राणी शास्त्र, रसायन शास्त्र, भूगर्भ |

## स्नातकोत्तर

| | |
|---|---|
| एम.एस.सी. पूर्व रसायन शास्त्र | सभी अनिवार्य विषय |
| एम.एस.सी. अंतिम रसायन शास्त्र | सभी अनिवार्य विषय |

# महाविद्यालय में सुविधाएँ

## राष्ट्रीय सेवा योजना :

महाविद्यालय में 100 छात्रों तथा 100 छात्राओं की पुरूष एवं महिला इकाई की स्थापना राज्य शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा की गई है। राष्ट्रीय विकास में छात्रों के रचनात्मक सहयोग एवं ग्रामीण शिविरों का भी आयोजन किया जाता है। छात्र–छात्राओं के महाविद्यालय सत्र प्रारंभ होने के एक माह के अंदर निर्धारित आवेदन पत्र देकर नामांकन करना होगा। निश्चित तिथि के बाद राष्ट्रीय सेवा योजना के लिये प्रवेश प्राप्त छात्रों की सूचना प्रकाशित कर दी जावेगी। प्रत्येक छात्र को कम से कम एक शिविर में भाग लेने पर रासेयो प्रमाण पत्र की पात्रता होगी । एन.एस.एस. में 'बी' तथा 'सी' सर्टिफिकेट प्रदान करने की व्यवस्था है, इसके लिये सत्रांत में होने वाले रासेयो कार्यक्रम परीक्षा में उत्तीर्ण होने आवश्यक है। यह कार्यक्रम प्रायः अवकाश के दिनों में संचालित होता है। अतः रविवार एवं अन्य छुट्टियों के दिन नगर के निकटस्थ गांव में समाज सेवा हेतु अपने वाहन से जाना होगा। रासेयो में अनुशासन आवश्यक है। छात्र छात्राओं के आचरण ठीक न होने पर कार्यक्रम अधिकारी उन्हें अलग कर सकेंगे।

## ग्रंथालय विभाग

महाविद्यालय में एक समृद्ध ग्रंथालय है। वर्तमान में 40000 ( चालीस हजार) से अधिक पुस्तके स्नातक/स्नातकोत्तर की है। ग्रंथालय में विभिन्न में समाचार पत्र, पत्रिकाएं एवं कई शोध, जर्नल्स भी मंगाये जाते है। अनुसूचित जाति / जनजाति के छात्र छात्राओं के लिये निःशुल्क पुस्तकें, प्रदान करने की बुक – बैंक योजना कार्यान्वित की जाती है। जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति / जनजाति के छात्र/छात्राओं को संत्रांत तक छात्रों के बीच एक सेट पुस्तकें निःशुल्क प्रदान की जाती है। जिन्हें परीक्षा उपरांत वापस लिया जाता है। सामान्य छात्र / छात्राओं को नियमानुसार ग्रंथालय से पुस्तकें प्रदान की जाती है ।

1. पुस्तकालय में पुस्तकों का निर्गमन तथा वापस लेना ग्रंथालय के नियंत्रण में रहता है । जिसके लिये उनके द्वारा निर्धारित नियमों का पालन आवश्यक है। नियमोल्लंघन करने पर छात्र दण्डित होंगे ।
2. ग्रंथालय में विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं के पठन की सुविधा है ।
3. ग्रंथालय में महाविद्यालय के समस्त छात्र–छात्राओं को 15 दिनों के लिये तीन पुस्तक निर्गमित की जावेगी।
4. ग्रंथालय से ली गई पुस्तक यदि 15 दिनों के बाद न लौटाई गई तो प्रति पुस्तक प्रतिदिन 1.00 के हिसाब से अर्थदण्ड देय होगा । जिसका भुगतान शिक्षण शुल्क की किश्त के साथ अनिवार्य रूप से करना होगा । पुस्तकों को पुनः निर्गम कराने का नियम है ।

## शुल्क मुक्ति एवं अन्य सुविधाएं -

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अन्य नियमों के अनुसार छात्रों की शुल्क आदि में निम्नलिखत
जाती है, जिसे राज्य के शासकीय महाविद्यालय में लागू किया गया है ।

1. **भातृ / भागिनी सुविधा**

यदि महाविद्यालय में दो अधिक भाई / बहिन नियमित छात्र हो तो बड़े को पूर्ण शुल्क देना
लिये छात्र प्रवेश के तुरंत बाद आवेदन करें ।

2. **शासकीय कर्मचारियों के पुत्र / पुत्रियों के लिये सुविधा –**

अ) शासकीय कर्मचारियों के पुत्र / पुत्रियों की सुविधा / चतुर्थ श्रेणी के शासकीय
सभी वर्ग के मृत कर्मचारियों के बच्चों का शिक्षण शुल्क स्नातक स्तर तक
माता–पिता का सेवा प्रमाण पत्र दो प्रतियों में प्रस्तुत करें ।

1) ऐस छात्रों को निर्धारित प्रपत्र भरकर अपने माता/पिता के विभागीय प्रमु
के साथ प्रवेश के समय प्रस्तुत करना चाहिये ।

2) यह सुविधा किसी भी अनुत्तीर्ण छात्र को नहीं मिलती परंतु उत्तीर्ण हो
कक्षा में पुनः प्राप्त हो सकती है ।

3) सदाचार नियमित उपस्थिति एवं संतोषजनक प्रगति के आधार पर ही
रहेगी। हड़ताल एवं अन्य विध्वंसक कार्यो में भाग लेने वाले छात्रों से
ले ली जावेगी ।

3. **छात्र सहायता निधि –**

योग्य तथा निर्धन छात्रों को छात्र सहायता निधि से पुस्तक आदि क्रय करने के लिये
है ।

## संस्था में उपलब्ध खेलकूद एवं अन्य गतिविधियों की जानकारी

महाविद्यालय में प्रशिक्षित क्रीड़ाधिकारी के निर्देशन में विभिन्न खेलों की सुविधा उपलब
रूप से बास्केटबाल, बेसबाल, व्हालीबाल, क्रिकेट, कबड्डी, बैडमिंटन, खो–खो, एथलेटिक्स
कुश्ती आदि खेल प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में सम्पन्न कराये जाते है। नवीन महाविद्यालय परिसर
मैदान उपलब्ध है। जिसमें निश्चित रूप से खिलाडियों को नियमित अभ्यास का पर्याप्त अवस
इसमें महाविद्यालय के प्रतिभाशाली खिलाड़ी विश्वविद्यालय एवं राज्य स्तर में अपनी प्रतिभा का
कर सकेंगे । महाविद्यालय मे सर्वसुविधा युक्त जिम है। जिसमें छात्रों को भरपूर लाभ मिलेग

## प्रतियोगिता परीक्षा परिसर :

यू.जी.सी. द्वारा बनाये गये नियमों और निर्देशों के अनुसार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु
स्थापना की गई है।। इसका उद्देश्य निर्धन तथा जरूरतमंद विद्यार्थियों को सहायता देना है ।
परीक्षाओं के लिए तैयार करना है ताकि वे पढ़ाई के साथ–साथ नाकरी हेतु भी प्रयास क
बैंकिंग, रेलवे, पी.एस.सी. आदि परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है।

## सायकल स्टेण्ड :

महाविद्यालय में साइकल स्टेण्ड की व्यवस्था है। सभी साइकल स्टेण्ड पर ही रखी जायेगी । कोइ बरामदा या कमरा, पोर्च आदि में साइकल रखने पर दण्ड का भागी होगा । अन्यत्र साइकल रखने प होती है तो महाविद्यालय की जिम्मेदारी नहीं होगी ।

## अनुशासन व्यवस्था एवं प्राक्टोरियल बोर्ड :

महाविद्यालय में अनुशासन व्यवस्था और अनुशासनहीनता के मामलों की जांच एवं निर्णय के प्राक्टोरियल बोर्ड रहेगा ।

## रेडक्रास सोसायटी :

महाविद्यालय में एक पुरूष इकाई कार्यरत है इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को सेवा के कार्य का प्रशिक्षण उपचार की जानकारी, रक्त वर्ग परीक्षण, रक्तदान हेतु प्रोत्साहन दिया जाता है ।

## परिचय पत्र (Identity Card) :

1. परिचय पत्र महाविद्यालय के छात्रों के लिये अनिवार्य है। महाविद्यालय में प्रवेश करते समय में प्रत्येक छात्र/छात्रा को परिचय पत्र दिखाना अनिवार्य है।
2. महाविद्यालय में प्रवेश लेते समय आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट साईज फोटो संलग्न कर व देना आवश्यक होगा, ताकि प्रवेश पत्र के साथ परिचय पत्र भी छात्रों को प्राप्त हो सके।
3. परिचय पत्र को सावधानी पूर्वक सुरक्षित रखना छात्र–छात्राओं का कर्त्तव्य है।
4. महाविद्यालय में प्रवेश करते समय, प्रत्येक समारोह एवं उत्सव में सम्मिलित होते समय छ परिचय पत्र साथ रखना होगा।
5. महाविद्यालय के किसी भी अधिकारी द्वारा परिचय पत्र की मांग करने पर प्रस्तुत करना अनि
6. परिचय पत्र हस्तांतरण योग्य नहीं है। छात्र को यह निर्देश बाध्यकारी होगा, अन्यथा छात्र दण्ड का होगा।
7. परिचय पत्र खो जाने पर 10/– रूपये शुल्क तथा दो प्रतियां पासपोर्ट साईज फोटो जमा कर प्राप्त किया जा सकेगा, परन्तु नया परिचय–पत्र, शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जावेग

## उपस्थिति :

प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक विषय / एन.एस.एस. में 75प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। इसके वह विश्वविद्यालय परीक्षाओं से वंचित हो सकता है ।

समय–समय पर उपस्थिति के आंकड़ों की जानकारी प्राप्त करना प्रत्येक विद्यार्थी का उत्तरदायित्व होगा । तत्संबंधी जानकारी उन्हें प्राध्यापकों तथा विभागाध्यक्षों से संपर्क प्राप्त क चाहिये। उपस्थिति में कर्मी के संबंध में महाविद्यालय, विद्यार्थी या उनके पालकों को सूचना देने उत्तरदायी नहीं है ।

जिन विद्यार्थियों की उपस्थिति 60 प्रतिशत से कम होगी, उनके परीक्षा के आवे
अग्रेषित नहीं किये जावेंगे ।

## स्वाध्यायी विद्यार्थियों के प्रयोगशाला सुविधा :

1. परिस्थिति एवं उपलब्ध साधनों के परिपेक्ष्य में प्राचार्य द्वारा लिये निर्णयानुसार निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार ही होगा ।

2. प्रवेशार्थियों की न्यूनतम संख्या एवं अधिकतम संख्या का निर्धारण विभागाध्यक्ष/ ही तय की जावेगी ।

3. स्वाध्यायी छात्रों एवं छात्राओं का पुस्तकालय से पुस्तकें नहीं दी जावेगी ।

4. चयनित प्रवेशार्थियों का निम्नानुसार शुल्क का एक किश्त में संपूर्ण रूप से पटाने हेतु प्रवेश माना जावेगा।

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1) | प्रयोगशाला शुल्क | – | 90.00 |
| 2) | टूट–फूट सामग्री शुल्क | – | 60.00 |
| 3) | सुरक्षा निधि | – | 100.00 |
| | | **कुल रूपये** | **250.00** |

5. स्वाध्यायी छात्रों एवं छात्राओं को वे सभी सुविधायें प्राप्त होगी जो नियमित छात्रों व ज्ञात होना चाहिए कि वे नियमित नहीं है । अतएव नियमित छात्रों के समान मत प्राप्त करना, पुस्तकें प्राप्त करना, आई.कार्ड प्राप्त करना, सांस्कृतिक, खेलकूद प्रा लेना, एन.सी.सी., एन.एस.एस. के छात्र होना, अध्ययन सुविधा आदि प्राप्त नहीं ह को पृथक से परीक्षा फार्म भरना होगा तथा जो शुल्क वि.वि./महाविद्यालय को देय हो प्रकार की असुविधा होने पर वे अपने विभागाध्यक्ष/प्राचार्य/कार्यालयीन कर्मचारियों र में मदद प्राप्त कर सकते हैं । किसी भी प्रकार से अनुशासन भंग नहीं हो, ऐसी अ बाहरी छात्रों का, व्यक्तियों का प्रवेश महाविद्यालय में निषिद्ध है ।

# प्रवेश संबंधी नियम

## प्रवेश तिथि :

छत्तीसगढ़ शासन के शिक्षा विभाग तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक महाविद्यालय में प्रवे छात्र–छात्रा को प्रवेश समिति के सम्मुख के लिए उपस्थित होना अनिवार्य है। प्रवेश समिति द्वारा छात्रो प्रवीणता तथा दस्तावेजों के आधार पर चयन कर तथा प्राचार्य की स्वीकृति मिल जाने पर छात्र–छात्रा व सकेगा।

प्रवेश की स्वीकृति मिलते ही छात्र/छात्रा को 7 दिन के भीतर अथवा निर्दिष्ट समय में प्रवेश शुल्क पट

## प्रवेश पात्रता :

विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार महाविद्यालय में निम्नलिखित योग्यता वाले छात्र–छात्रा प्रवेश पा

1. बी.ए., बी.काम एवं बी.एस.–सी.भाग–1

   माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर (छ.ग.) या किसी माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित उच्चत परीक्षा 12वीं उत्तीर्ण हो या विश्वविद्यालय द्वारा मान्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।

2. बी.ए. बी.कॉम एवं बी.एस.सी. भाग–2

   क. बी.ए. बी.काम एवं बी.एस–सी.भाग–1 की परीक्षा उत्तीर्ण हो। या

   ख. विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।

3. बी.ए. बी.कॉम एवं बी.एस.सी. भाग–3

   क. बी.ए. बी.काम एवं बी.एस–सी.भाग–2 की परीक्षा उत्तीर्ण हो। या

   ख. समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।

4. एम.ए. एम.काम एवं एम.एस.–सी पूर्व

   क. विश्वविद्यालय की बी.ए.,बी.काम. या बी.एस.–सी.भाग–3 परीक्षा उत्तीर्ण हो। या

   ख. समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।

5. एम.ए. एम.काम एवं एम.एस.–सी अंतिम

   क. विश्वविद्यालय की एम.ए. एम.काम.या एम.एस.–सी. पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण हो।या

   ख. विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।

## प्रवेश नियम (Admission Rules) :

1. महाविद्यालय में प्रवेश पाने के इच्छुक प्रत्याशी को निर्धारित आवेदन पत्र भरकर देना होगा। आवेदन पत्र छात्र के हस्ताक्षर से जमा करना अनिवार्य है।

2. आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

   (1) स्थानांतरण प्रमाण पत्र (Transfer Certificate)

   (2) अंकसूची (अंतिम परीक्षा दो प्रतियां)में स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित सत्य प्रतिलिपि/ फोटो स्टेट कापी

   (3) चरित्र प्रमाण पत्र (Character Certificate)

नियमित छात्रों को पूर्व के प्राचार्य के द्वारा हस्ताक्षरित चरित्र प्रमाण
छात्रों के लिए किन्हीं दो उत्तरदायी नागरिकों से चरित्र प्रमाण–पत्र र
की मूल प्रति ही संलग्न करें।

(4) प्रवजन प्रमाण पत्र (Migration Certificate) की मूल प्रति सरगुजा वि
बाहर से आये छात्रों के लिए।

(5) अंतिम परीक्षा के प्रमाण पत्र की मूल प्रति आवश्यकता पड़ने पर मह
करना अनिवार्य होगा।

(6) पासपोर्ट आकार के दो चित्र।

(7) जाति प्रमाण पत्र केवल अनु.जाति, अनु.जनजाति एवं अन्य पिछड़ा
राजस्व अधिकारी या तहसीलदार द्वारा प्रदत्त।

(8) जन्म तिथि प्रमाण पत्र इसके लिए उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के प्रमा
होगी ।

**नोट :** 1. अनुत्तीर्ण, पूरक तथा विश्वविद्यालयीन परीक्षा में नकल करते पकड़े ग
दिया जायेगा।

2. अपूर्ण, असत्य एवं भ्रामक जानकारी के आधार पर प्राप्त प्रवेश सूचना
एवं उसका दायित्व छात्र का होगा, ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जमा क

3. उपर्युक्त प्रमाण पत्र के अभाव में प्रवेश रद्द हो जायेगा।

4. छात्र का आचरण अर्हता आदि से संबंधित आपत्ति होने पर प्राचार्य ऐसे
के लिए अपात्र घोषित कर सकते है।

5. महाविद्यालय के शुल्क एवं आवश्यक प्रपत्र प्रस्तुत करने पर ही छा
महाविद्यालय को यह अधिकार होगा कि बिना कारण बताये प्रवेश से
दे।

6. जिस छात्र का प्रवेश स्वीकार हो जायेगा उसे प्रवेश की रसीद /परि
इन दोनों को वर्ष भर सुरक्षित रखना चाहिए।

7. आवेदन पत्र में छात्र का नाम सही होना चाहिये जो उच्चतर माध्यमिक
में अंकित हो। नाम परिवर्तन के इच्छुक छात्र /छात्रा को पांच रूपये के
न्यायाधीश की अदालत में शपथ पत्र (Affidavit) देकर नत्थी करना

8. छात्र द्वारा आवेदन पत्र में दर्शाये स्थायी एवं वर्तमान पते में यदि किसी प्र
सूचना प्राचार्य को तत्काल देना अनिवार्य है।

9. छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त प्रवेश नियमों का पाल

## शुल्क विनियम :

1. एक बार कोई शुल्क पट जाने के बाद वह किसी भी प्रकार वापस नहीं हो सके

2. एक बार किसी छात्र का महाविद्यालय में प्रवेश हो जाने के पश्चात् शासकीय अनु
का सभी शुल्क पटाना पड़ेगा, चाहे वह जिस तिथि को प्रवेश ले एवं महाविद्या

3. संस्था छोड़ने के दो वर्ष बाद किसी प्रकार की राशि वापस नहीं की जायेगी।

4. छात्रों को सलाह दी जाती है कि शुल्क पटाने के बाद रसीद का ठीक से निरीक्षण
रखें। जो भी शुल्क या किसी प्रकार की अन्य धनराशि इस महाविद्यालय में किस

की जाये, उसकी रसीद नियमानुसार प्राप्त कर लेनी चाहिए। अन्यथा उसका उत्तरदायित्व जमा करने वाले व्यक्ति का ही होगा।

5. परीक्षा फार्म जमा करने के पूर्व विश्वविद्यालयीन शुल्क भी जमा करना होगा।

## संस्था छोड़ने हेतु नियम :

यदि कोई छात्र मध्य सत्र में संस्था त्यागने और दूसरी संस्था में प्रवेश लेने की इच्छा करता है तो उसे विश्वविद्यालय अधिनियमानुसार निम्न कार्यवाही पूरी करनी होगी।

(अ) संस्था त्यागने के उद्देश्य की लिखित सूचना करनी होगी।

(ब) समस्त शुल्कों को जमा करना होगा।

(स) उक्त सम्पूर्ण सत्र का पूर्ण शुल्क उसे महाविद्यालय को देना पड़ेगा।

(द) महाविद्यालय से प्राप्त अन्य सहायता, निःशुल्क शिक्षा या छात्रवृत्ति आदि की राशि लौटानी होगी।

(च) निःशेष प्रमाण–पत्र (No Dues Certificate) प्रस्तुत करना होगा।

(छ) स्थानांतरण प्रमाण–पत्र या आचरण प्रमाण–पत्र की दूसरी प्रति चाहने वाले छात्रों को 05/– रूपये का चालान जमा करना होगा तथा कारण बताते हुए थाने में एफ.आई.आर. की प्रति एवं एफीडेविड न्यायालय से बना प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(ज) समावधान निधि की वापसी महाविद्यालय छोड़ने पर टी.सी. लेते समय ही होगी बशर्ते अपनी रसीद प्रस्तुत करें। समावधान निधि की वापसी महाविद्यालय छोड़ने के छः माह बाद नहीं की जायेगी।

## विश्वविद्यालय नामांकन : (नवीन छात्र/छात्रा हेतु अनिवार्य)

1. विश्वविद्यालय में नामांकन हेतु समय पर आवश्यक आवेदन पत्र भर कर नामांकन करा लेने का उत्तरदायित्व छात्रा का होगा। प्रवेश के बाद नामांकन फार्म महाविद्यालय में निर्धारित अवधि में भरना होगा।

2. स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए नामांकन एवं परीक्षा फार्म छात्रों को स्वयं प्राप्त कर निर्धारित समय सीमा में जमा करना अनिवार्य होगा।

# महाविद्यालय में शासन द्वारा निर्धारित प्रवेश संबंध

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के

**(2013–14 के लिये शासन द्वारा प्रवेश नियमों में जो संशोधन किया जायेगा वह**

## 1. प्रयुक्ति :

1.1 यह मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों में छ.ग. अधिनियम 1973 के तहत अध्यादेश क्र. 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपाठित करते हुए समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगें ।

1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के सेमेस्टर से है ।

## 2. प्रवेश की तिथि :

### 2.1 प्रवेश हेतु आवेदन–पत्र जमा करना :

महाविद्यालय में प्रवेश के लिये अस्थायी प्रवेश महाविद्यालय के प्राचार्य के द्वारा निर्धारित आवेदन प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक जमा किये जायेंगे । विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए जमा करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दि जायेगी । प्रवेश बोर्ड / वि.वि. द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था से द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन–पत्र जमा किये जावें।

### 2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 31 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की प्रतिवर्ष प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे । परीक्षा परिणाम विलंब से घोषित होने की स्थिति अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा वि.वि. परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक जो भी पहले हो मान्य होगी । कंडिका 1(क) में उल्लेखित कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथी के बाद प्रवेश चाहने पुत्र / पुत्रियों के स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये किन्तु इसके लिये कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा ।

स्पष्टीकरण :–

आवेदक 'क' ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश । उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान 'ब' में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा । आवेदक (अ) के जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक (ब) में स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः लिये निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा

### 2.3 पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिये प्रवेश की अंतिम तिथि स्पेश निर्धारि करना:–

विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों में पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनमूल्यांकन के परिणाम घोषि होने के 15 दिन तक संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात गुणानुक्रम में आने पर प्रवे की पात्रता होगी । किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा।

## 3. प्रवेश संख्या का निर्धारण :

3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपय योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई छात्र संख्या सीट के अनुसार विभिन्न कक्षाओं के लिये छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र सं में सीट की वृद्धि चाहते है तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें। "उच्च शिक्षा संचालनालय/ उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुये स्थान के अनुसार प्र की कार्यवाही करें।"

3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में बार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनु अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (अधिकतम 4 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर जावे। सम्बद्ध वि.वि./स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लियेअध्यापन के विषय/विषयसमूह निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगें।

## 4. प्रवेश सूची :

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमाकरने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु च विद्यार्थियो की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांको एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांक गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगायी जायेगी।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रम किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात ही प्रवेश शुल्क जमा कर अनुमति दी जावेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर ''प्रवेश दिया गया'' र मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।

4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात स्थानांतरण पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगा कर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाए।

4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्ष नियमानुसार प्रवेश हेतु विलंब शुल्क रूपये 100/–अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला ज तथापि ऐसे प्रकरणों में 30 जुलाई के पश्चात प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

4.5 स्थानांतरण प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये । स्थानांतरण पत्र खो जाने की स्थिति में निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाय। पुलिस थाने की एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र जाये।

4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने के साथ–साथ छात्र से संबंधित गोपनीय

जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में बंद कर महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छ लिये आवेदन किया है।

## 5. प्रवेश की पात्रता :

### 5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :

क. छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छ.ग. में स्थायी सम्पत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंक सरकार द्वारा संचालित व्यवसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पंदाकन छत्तीसगढ़ में पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितो तथा उनके आश्रितो को ही शासकीय महाविद्या दिया जाएगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियो को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दि है।

ख. सम्बद्ध वि.वि. से या सम्बद्ध वि.वि. द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों और वि.वि. से अर्हकारी आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

### 5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :

क. 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। वि व कला संकाय के विद्यार्थियो को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बी.एस.सी. (गृह वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी।

ख. स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदको को उन्हीं विषयों की क्रमशः द्वितीय नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीयस्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं

### 5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :–

क. बी.कॉम./बी.एस.सी. (गृहविज्ञान)/बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एम.कॉम/ (गृहविज्ञान)/एम.ए.पूर्व प्रथम सेमेस्टर एवं आवेदित विषय लेकर बी.एस.–सी उत्तीर्ण आवेदकों सी./एम.ए. पूर्व में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

ख. स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष /प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की पूर्ण अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदक सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

### 5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेश :

क. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता

ख. विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. (प्रथम वर्ष) में नियमित प्रवेश की

ग. एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में

### 5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंकसीमा :–

क. विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा, प्रवेश यदि प्रवेश परीक्षा

दिया जाता है तो 40प्रतिशत तथा जहां प्रवेश परीक्षा के माध्यम से नहीं दिया जाता, वहीं 4
होगी । एल.एल.एम. पूवार्द्ध में 55 प्रतिशत अंक प्राप्त आवेदकों को ही नियमित प्रवेश की पात्र

## 6. समकक्ष परीक्षा :

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.), इंडियन कौंसिल फार सेकेण्डरी एजूकेशन (
एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इण्टरमीडिएट बोर्ड की 10+2 परीक्षा में मा.शि.म. की 10+
के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य मान्य बोर्डो की सूची सम्बद्ध वि.वि. से प्राप्त कर सकते हैं।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएसन ऑफ यूनि
के सदस्य हैं उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। उ
एवं काकतिया विश्वविद्यालय, जैसे बी.ए./बी.काम. डायरेक्ट वन सीटिंग परीक्षाएं मान्य नहीं है।

6.3 संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्व
अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या
संस्थाओं, जिनकी परीक्षा उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य संबद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्

## 7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश :

7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम/बी.एस.–सी./बी.एच.एस.–सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छ
किसी भी विश्वविद्यालय, स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को
द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है। किन्तु सम्बद्ध वि.वि./स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये
विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो, इसका परीक्षण करने के पश्चात ही नियमित
दिया जावे। आवश्यक हो तो वि.वि. से पात्रता प्रमाण पत्र अवश्य लिया जाये।

7.2 छ.ग. के बाहर स्थित विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा,
विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय से
परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्
से पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित
दिया जावे।

7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्याल
पूर्व छात्रों को 30 नवम्बर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य
दी जा सकती है।

## 8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता :

अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश
अनिवार्य होगा।

8.1 स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा में एक विषय में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त आवेदकों को अग
कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी–केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्था
प्रवेश की पात्रता होगी।

8.3 विधि स्नातक प्रथम/द्वितीय में निर्धारित एग्रीगेट 48% पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदाकों को अग
कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.4 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण अस्थायी प्रवेश छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा। उत्ती
होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जावेगा।

## 9. प्रवेश हेतु अर्हताऐं :

9.1 किसी भी महाविद्यालय/वि.वि.शिक्षण विभाग के किसी संकाय की कक्षा में होने वाले छात्र उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र तथा शपथ पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उस लिया है, के आधार पर ही निपयमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।

9.2 जिनके विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो /या न्यायालय में अपराधिक प्रक परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुव्यवहार/मारपीट करने के हों। चेतावनी देने के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, तो ऐसे छात्र/छात्राओं को प्र लिए प्राचार्य अधिकृत है।

9.3 महाविद्यालय में तोड़-फोड़ करने और महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने वाले/ छात्र/छात्राओं को प्राचार्य प्रवेश न देने के लिए अधिकृत है। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित क एवं जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र/छात्राओं को छत्तीसगढ़ भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

9.4 (क) स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर प्रथम वर्ष में 27 वर्ष से अधिक आ को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना एक जुलाई के आधार पर की जावेगी। प के बंधन में महिला छात्राओं को 3 वर्ष की छूट रहेगी।

(ख) आयु सीमा का यह बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/कार्यालय नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों भारत सरकार द्वारा आयोजि विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गए छात्रों अथवा विदेश से आ विदेशी मुद्रा में पेमेंट सीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।

(ग) विधि संकाय के तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये अधिकतम आयु सीमा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिये 5 वर्ष की

(ग) संस्कृत महाविद्यालयों में प्रवेशहेतु स्नातक स्तर पर 25 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर पर ाक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं है।

(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग एवं विकलांग विद्यार्थियों/महिला आवेदक सीमा में 3 वर्ष की छूट रहेगी।

9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारी को उसकी दैनिक काय की अवधि महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता नहीं होगा। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले नियमित प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तु ही प्रवेश दिया जावेगा।

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को, विधि संकाय को छोड़ कर अन्य स पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

## 10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा

क. स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधि अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर, तथा

ख. विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो वि

निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी ।

10.2 सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी के लिए अलग–अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

## 11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :

11.1 प्रथम वर्ष स्नातक/स्नातकोत्तर विधिक कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित एवं भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।

11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित, भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी, एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित छात्र/स्वाध्यायी छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परन्तु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य क्रम यथावत रहेगा ।

11.4 आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उनके निवास स्थान/तहसील /जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिले के समीपस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्यापन की सुविधा होने पर ऐसेआवेदकों के आवेदनों पर विचार न करते हुए उस विषय/विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपने नगर/तहसील/जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दियाजावे। आवेदक के निवास स्थान/तहसील/ जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिलों के समीपस्थ स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जावेगा। स्थान रिक्त रहने पर एवं गुणानुक्रम में आने पर पूरे प्रदेश के छात्रों को पूर प्रदेश में प्रवेश की पात्रता होगी।

11.5 परन्तु उपरोक्त प्रावधान स्वशासी महाविद्यालयों के लिये लागू नहीं होगा, किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

## 12. आरक्षण :

छ.ग. शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :––

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण, तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात :–

क. अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा मे वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या मे से बत्तीस प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

ख. अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या मे से बारह प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।

ग. अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षित रहेगी।

परन्तु जहाँ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात भी, जहाँ खण्ड क. ख. तथा ग. के अधीन आरक्षित सिटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12.2 (1) बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड क. ,ख. ,तथा ग के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।

(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिको, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों

के अन्य विशेष वर्गो के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा समय–समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए, त खण्ड क. ख. तथा ग. के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र–पुत्रियों तथा विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लि स्थान आरक्षित रहेगें। विकलांग आवेदकों को प्राप्तांको का 10% अंको का अधि सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।

12.4 सभी वर्गो में उपलब्ध स्थानों में से 30प्रतिशत स्थान महिला छात्राओं के लिये आ

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण सामान्य श्रेणी नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत अप्र विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटे भरी जाएगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं 1 प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 समय–समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाए।

12.8 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलास ीन रहेगा।

## 13. अधिभार :

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिए ही प्रदान किया जायेगा। पात्रता प्राप्ति हेतु इस जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांको के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार हेतु आवेदन पत्र के साथ ही संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात बाद जाने वाले प्रमाण पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा। एक से अधिक मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

### 13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स :

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाईड्स/रेन्जर्स/सेवर्स के अर्थ में पढ़ा जाये।

(क) एन.एस.एस./एन.सी.सी./ए–सर्टिफिकेट

(ख) एन.एस.एस./एन.सी.सी. 'बी' सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स

(ग) 'सी' सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स

(घ) राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को

(च) नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छ.ग. के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कटिन्जेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को

(छ) राज्यपाल स्काउट्स

(ज) राष्ट्रपति स्काउट्स

(झ) छ.ग. का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी.कैडेट

(य) ड्यूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेट

(र) भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम/एन.सी.सी./ एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को/ चयनित करने अंतर्राष्ट्रीय के लिये वाले विद्यार्थी को

13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर

13.3 स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को एल.एल.बी. प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने पर – 5 प्रतिशत

**13.4 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/क्विज/रूपांकन प्रतियोगिताएं**

(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छ.ग. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला संभाग स्तर अ केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में –

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को – 02 प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को – 04प्रतिशत

(2) उपर्युक्त कंडिका 13.4 (1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अंतर संभाग राज्य अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंर्तक्षेत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भार विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सर द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में–

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को – 06प्रतिशत

(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को – 07प्रतिशत

(ग) संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को – 05प्रतिशत

(3) भारतीयविश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्र प्रतियोगिताओं में –

(क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को – 15 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को – 12 प्रतिशत

(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को – 10 प्रतिशत

13.5 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा सांइसएवं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तह (विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला क्षेत्र में) चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्य को – 10 प्रतिशत

13.6 छ.ग.शासन/म.प्र.से मान्यता प्राप्त खेल संघो द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में–

(क) छ.ग./म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को – 10 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छ.ग. की टीम के सदस्य को – 12 प्रतिशत

13.7 जम्मू काश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को – 01 प्रतिशत

**13.8 विशेष प्रोत्साहन :**

(क) छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिये एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड एशियक स्पोटर्स अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है। बशर्ते कि–

(1) इस प्रकार के प्रमाण पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण छ.ग. शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो एवं

(2) यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है। परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें

उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.9 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले 4 क्रमिक सत्र तक के प्रमाण पत्र स्नातको विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र तक के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य स्नातक द्वितीय, तृतीयएवं स्नातकोत्तर द्वितीय में प्रवेश पूर्व सत्र के प्रमाण पत्र अधिभार हे

## 14. संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन :

(क) स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्र विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांको से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जा घटे हुए प्राप्तांको पर देय होगा।

(ख) महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितम्बर तक या परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिन तक यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देयहोगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हो।

## 15. शोध छात्र :

शासकीय महाविद्यालयों में पी–एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिए प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिक सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे। प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के प्रवेश मान्यकिया जायेगा। शोध छात्र के लिए संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी–एच.डी. निर्देशन हेतु पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत हैं, तो सक्षम अधिक उपस्थिति प्रमाण–पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जायेगा। महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्य हो जाने की स्थिति में शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनक पत्र अग्रेषित किया गया था। शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालय के करेंगे।

## 16. विशेष :

16.1 जाली प्रमाण पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों प्रशासकीय अथ असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का प्राचार्य को होगा।

16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को

16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.4 एवं 9.5 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त वापिस नहीं किया जायेगा।

16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतो के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण में मार्गदर्शन होने पर, प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण/मार्ग

उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त करेंगें। प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।

16.6 इन मार्गदर्शन सिद्धांतो में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतो में समय–समय पर परिवर्तन/संशोधन /निरसर/संलग्न का सम्पूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

आयुक्त
उच्च शिक्षा,
छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर

टीप : शासन द्वारा वर्ष 2013–14 हेतु इन नियमों में किसी प्रकार का संशोधन होने पर वह लागू होगा।

# छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में विद्यार्थियों के
## आचरण - संहिता

### सामान्य नियम :

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को महाविद्य
अक्षरशः पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्ड
भागीदारी होगा।

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेश
होना चाहिये। छात्राओं के लिए सलवार, कुर्ता, ओढनी शालीन वेशभूषा होगी।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा
गतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यहवार असंसदीय भा
गाली-गलौच, मारपीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता
5. महाविद्यालय परिसर को स्वस्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है,
और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा।
6. महाविद्यालय की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थो का सेवन सर्वथा व
7. महाविद्यालय में इधर-उधर थूकना, दीवालों को गंदा करना या गंदी बातें लिख
विद्यार्थी असमाजिक तथा अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर क
8. विद्यार्थी अपनी मांगो का प्रदर्शन आंदोलन हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा। वि
दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिये राजनीतिक
अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।
9. महाविद्यालय परिसर में मोबाईल का उपयोग पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा।

### अध्ययन संबंधी नियम :

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा यह एन.सी.
भी लागू होगी अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानी पूर्वक करेगा। उनको स्व
3. ग्रंथालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्णतः पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में
होगी तथा समय से नहीं लौटने पर निर्धारित दण्ड देना होगा।
4. अध्ययन से सम्बन्धित किसी भी कठिनाई के लिये वह गुरुजनों के समक्ष अथ
शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।
5. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखे, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रि
तोड़फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा।

## परीक्षा सम्बंधी नियम :

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
2. अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरांत परीक्षा देगा।
3. परीक्षा में या उसके सम्बंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ होने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा। जिस पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

## महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र -

1. यदि छात्र अनैतिकता मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिये प्रेरित करने पर पाँच साल तक कारावास की सजा या पाँच हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
3. यदि विद्यार्थी समय-सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता तो उसका नाम काट दिया जायेगा।
4. यदि विद्यार्थी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय में पृथक कर दिया जायेगा।
5. महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में उसके पालक अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।

# रैगिंग

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.11.06 संदर्भ एस.एल.पी. 2495/06 केरल विश्वविद्यालय विरूद्ध महाविद्यालय प्राचार्य की परिषद तथा एस.एल.पी. क्र. 24296-24299/ 2004 डब्ल्यू.पी. (सी.आर.सी) 173/2006 तथा एस.एल.पी. क्र. 14356/2005 के अनुसार रैगिंग एक दण्डनीय अपराध है। महाविद्यालय या अन्यत्र कही भी रैगिंग लेना पूरी तरह प्रतिबंधित है। रैगिंग के लिये दोषी विद्यार्थी को महाविद्यालय से निष्काषित किया जाकर उसके विरूद्ध कठोर निषेधात्मक वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। वरिष्ठ विद्यार्थी इसका ध्यान रखें।

# रैगिंग संबंधी परिनियम

महाविद्यालय परिसर में रैगिंग रोकने के लिये विशेष परिनियम :

1. यह विशेष विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालय के परिसर में रैगिंग कुप्रथा समाप्त करने के लिये स्थापित कि है।

2. इस परिनियम में निहित अनुदेश विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय परिसर और संबद्ध छात्रावास परिसर में किसी घटना के लिये लागू होंगे । परिसर के बाहर की घटनाओं के लिये यह परिनियम प्रचलन में नहीं होगा ।

3. रैगिंग में निम्नलिखित अथव इनमें से एक व्यवहार अथवा कार्य शामिल होगा :

   अ. शारीरिक आघात जैसे चोट पहुंचाना, चॉटा मारना, पीटना अथवा कोई दण्ड देना ।

   ब. मानसिक आघात जैसे मानसिक कलेश पहुचॉना, छेड़ना, अपमानित करना, डांटना ।

   स. अपमान, असभ्य व्यवहार करना अथवा ऐसा करने के लिये बाध्य करना ।

   द. सहपाठियों, साथियों या पूर्व छात्रों अथवा बाहरी असमाजिक तत्वों के द्वारा अनियंत्रित व्यवहार मचाना, चीखना-चिल्लाना आदि ।

4. ऐसी किसी घटना की जानकारी प्राप्त होने पर अथवा ऐसी किसी घटना का अवलोकन करने पर महाविद्यालय को अथवा विश्वविद्यालय के कुलपति को कोई भी विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी, अभिभावक या कोई नाग शिकायत दर्ज करा सकेगा । ऐसी शिकायत को प्राचार्य महाविद्यालय और कुलपति विश्वविद्यालयों में गठित बोर्ड को सौपेंगे। इस में चार वरिष्ठ शिक्षक, दो वरिष्ठ विद्यार्थी और दो अभिभावक सदस्य के रूप में प्राचार्य/कु मनोनित किया जायेंगे । इस हेतु प्राक्टोरियल बोर्ड की विशोष बैठक आहूत की जायेंगी । बैठक की सूचना में वरिष्ठतम प्राध्यापक द्वारा सभी सदस्यों को दी जायेगी । यह वरिष्ठतम प्राध्यापक मुख्य प्रॉक्टर कहलायेंगे ।

5. प्रॉक्टोरियल बोर्ड प्रकरण की छानबीन करेगा और अपनी अनुशंसा महाविद्यालय के प्राचार्य/विश्वविद्यालय आवश्यकतानुसार कार्यवाही कर सकेंगे ।

6. प्राक्टोरियल बोर्ड की अनुशंसा पर महाविद्यालय के प्राचार्य/विश्वविलय के कुलपति आवश्यकतानुसार सकेंगे। दोषी पाये जाने पर संबंधित छात्र को निम्नानुसार दंड दिया जा सकेगा ।

   1. महाविद्यालय से एक या दो वर्ष के लिये निष्कासन ।
   2. राज्य के किसी भी महाविद्यालय या/एवं विश्वविद्यालय में दो वर्ष तक प्रवेश पर रोक।
   3. दोषी छात्र को दंड के विरूद्ध अपील करने का अधिकार होगा । यह अपील महाविद्यालय विश्वविद्यालय के कुलपति को संबोधित होगा ।
   4. महाविद्यालय के प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रॉक्टोरियल बोर्ड की ऐसी किसी विस्तृत जांच संस्थित करने का पूणर अधिकाार होंगे और इस हेतु उच्च स्तर से स्वीकृति लेना होगा लेकिन की गई कार्यवाही की सूचना राज्य शासन को देना अनिवार्य होगा ।
   5. कोई भी न्यायालय (उच्च न्यायालय को छोड़कर) इस प्रकार की कार्यवाही में प्राचार्य/कुलपति बिना हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा ।
   6. यदि रैगिंग का कृत्य किसी पूर्व छात्र अथवा अछात्र द्वारा किया गया है तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस का अधिकार प्राचार्य/विश्वविद्यालय के कुलपति को होगा ।

   इनकी शिकायत पर पुलिस को दोषी व्यक्ति को हिरासत में लेना और एफ.आई.आर. दर्ज करना होगा।

1) इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण या विचारण लंबित होने पर शिक्षण संस्था में प्रधान को छात्र के निष्कासन के अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिये अभियुक्त छात्र को निलंबित करने और शैक्षणिक संस्था परिसर तथा छात्रावास में प्रवेश से वर्णित करने का अधिकार होगा।

2) किसी शैक्षणिक संस्था का कोई छात्र जो धारा-4 के अधीन सिद्धदोष पाया गया हो, शैक्षणिक संस्था के निष्कासन के लिये जिम्मेदार होगा।

3) ऐसा छात्र जो निष्कासित किया गया हो अन्य कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन सिद्धदोष पाया गया हो, किसी अन्य शैक्षणिक संस्था में राज्य के क्षेत्राधिकार के भीतर तीन वर्ष की अवधि तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

रायपुर दिनांक 17 जनवरी 2002

क्रमांक सी/455/21-अ (प्रारूपण)/2002 - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध अधिनियम, 2001 (क्र.27 सन् 2001) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार के एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम में तथा आदेशानुसार

टी.सी.युद. अतिरिक्त - सचिव

# वार्षिक शुल्क विवरण

| क्र. | मद का नाम | कक्षा | सामान्य वर्ग के छात्र | अनुसूचित जनजाति/ की |
|---|---|---|---|---|
| 1. | शासकीय शुल्क | 1. स्नातक (कला, वाणिज्य) | 123/- | |
| | | 2. स्नातक (विज्ञान) | 143/- | |
| | | 3. स्नातकोत्तर(कला,वाणिज्य) | 158/- | |
| | | 4. स्नातकोत्तर (विज्ञान) | 178/- | |
| 2. | अशासकीय शुल्क | 1. स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष | 391/- | |
| | | 2. स्नातक एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष | 251/- | |
| 3. | जनभागीदारी शुल्क | 1. स्नातक एवं स्नातकोत्तर समस्त कक्षाएं | 200/- | सामान्य का ज |

**नोट -** अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /. शासकीय कर्मचारी / छात्राओं को शिक्षण शुल्क में बी.एस.सी./बी.कॉम / एम.ए. अंतिम व दो एवं तीन के छात्र-छात्राओं को नामांकन शुल्क एवं अवधान

# प्राध्यापक एवं कर्मचारियों की सूची

| | | |
|---|---|---|
| डॉ. सुभाषदत्त झा | इतिहास | प्राचार्य |
| डॉ. व्ही.प्रसाद | प्राध्यापक इतिहास | विभागाध्यक्ष |
| डॉ. श्रीमती आनन्दा गुप्ता | प्राध्यापक राजनीति शास्त्र | विभागाध्यक्ष |
| डॉ. सरोजबाला श्याग बिश्नोई | सहा.प्राध्या. गृह विज्ञान | विभागाध्यक्ष |
| डॉ. रश्मि तिवारी | सहा.प्राध्या. संगीत | विभागाध्यक्ष |
| डॉ. एस.पी.त्रिपाठी | सहा.प्राध्या. समाजशास्त्र | विभागाध्यक्ष |
| श्री अशोक वर्मा | सहा.प्राध्या.वाणिज्य संकाय | विभागाध्यक्ष |
| श्री बी.एल.साहू | सहा.प्राध्या.हिन्दी | विभागाध्यक्ष |
| डॉ. कमल कुमार पाण्डेय | सहा.प्राध्या.भौतिक शास्त्र | विभागाध्यक्ष |
| डॉ. संतोष कुमार अग्रवाल | सहा.प्राध्या.प्राणी शास्त्र | विभागाध्यक्ष |
| श्रीमती प्रभा राज | सहा.प्राध्या. रसायन शास्त्र | विभागाध्यक्ष |
| श्री अमरजीत सिंह | सहा.प्राध्या. वनस्पति शास्त्र | विभागाध्यक्ष |
| श्रीमती मोनिका श्रीवास्तव | सहा.प्राध्या. अंग्रेजी | विभागाध्यक्ष |

## कार्यालयीन कर्मचारी

| | |
|---|---|
| श्री पी.एस.सोन्चे | सहायक ग्रेड – 02 |
| श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव | सहायक ग्रेड – 03 |
| श्री सर्वजीत प्रसाद पटेल | सहायक ग्रेड – 03 |
| श्री सुनीत जॉनसन बाडा | डॉटा एन्ट्री ऑपरेटर |

## अन्य कर्मचारी गण

| | |
|---|---|
| श्री हृदयराम गुप्ता | भृत्य |
| श्री एल.जी.रजक | भृत्य |
| श्रीमती मायादेवी सिंह | बुक लिफ्टर |
| श्री भोले प्रसाद रजक | फर्रास |
| श्री शंकर लाल यादव | चौकीदार |
| श्री प्रदीप कुमार मलिक | स्वीपर |

## प्रयोगशाला शिक्षक

| | | |
|---|---|---|
| श्री आलोक कुमार राय | प्रयोगशाला शिक्षक | वनस्पति विज्ञान |
| श्री प्रेमलाल पटेल | प्रयोगशाला शिक्षक | भौतिक शास्त्र |
| श्री आर.एस.जगते | प्रयोगशाला शिक्षक | रसायन शास्त्र |
| श्री बी.एल.शुक्ला | प्रयोगशाला शिक्षक | भूगर्भ शास्त्र |

## प्रयोगशाला परिचारक

| | | |
|---|---|---|
| श्री धनई प्रसाद चर्मकार | प्रयोगशाला परिचारक | भौतिक विज्ञान व गृह विज्ञान |
| श्री रामखेलावन गुप्ता | प्रयोगशाला परिचारक | भू–गर्भ विज्ञान |
| श्रीमती मीना त्रिपाठी | प्रयोगशाला परिचारक | वनस्पति विज्ञान |
| श्री कमलू सिंह मार्को | प्रयोगशाला परिचारक | रसायन विज्ञान |

# प्राचार्यो की सूची

1. श्री सांवलिया प्रसाद सोनी
2. श्री केशव प्रसाद शुक्ल
3. श्री एन.पी.श्रीवास्तव
4. श्री यू.सी. पाण्डे
5. श्री आर.के.कुलमित्र
6. श्री केशव प्रसाद शुक्ल
7. श्री पी.एन. लिमये
8. श्री केशव प्रसाद शुक्ल
9. डॉ. एन.पी. श्रीवास्तव

### शासकीय प्राचार्य
(शासनाधीन होने के पश्चात्)

1. श्री केशव प्रसाद शुक्ल
2. डॉ. एन.पी. श्रीवास्तव
3. डॉ.आर.के.कुलमित्र
4. श्री वी.एस.शिकरवार
5. डॉ. रवि पाण्डे
6. डॉ. डी.पी.अम्बस्थ
7. डॉ.डी.डी. चतुर्वेदी
8. डॉ. प्रेम चन्द्र गुप्ता
9. डॉ. एम.आर. दंडौतिया
10. डॉ. सपना लाहिडी
11. डॉ. अमृत लाल सांडे
12. डॉ.श्रीमती आनंदा गुप्ता
13. डॉ. सुभाष दत्त झा (जुलाइ

### जनभागीदारी समिति के अध्य

1. श्री दीपक पटेल
2.
3. श्री मनोज त्रिपाठी
4.
5. श्री सरजू प्रसाद यादव (2015

# छात्र संघ अध्यक्षों की सूची

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्री एम.सुभाष शर्मा | 1974–75 |
| 2. | श्री राजेन्द्र गुप्ता | 1975–76 |
| 3. | कु. आशा केशरवानी | 1976–77 |
| 4. | श्री सुबरन सिंह | 1977–78 |
| 5. | सरदार बलवीर सिंह | 1978–79 |
| 6. | श्री श्याम लाल यादव | 1979–80 |
| 7. | सरदार जसवीर सिंह | 1980–81 |
| 8. | श्री निर्भय राम प्रजापति | 1981–82 |
| | **शासनाधीन पश्चात् अध्यक्ष** | |
| 9. | श्री निरंजन कुमार मित्तल | 1982–83 |
| 10. | श्री राकेश कुमार कश्कड | 1983–84 |
| 11. | श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल | 1984–85 |
| 12. | श्री जाहिर खान | 1985–86 |
| 13. | श्री मनोज कश्कड | 1986–87 |
| 14. | श्री प्रमोद अग्रवाल | 1987–88 |
| 15. | श्री अनिल कुमार अरोर | |
| 16. | कु.सविता | |
| 17. | कु.सुनीता अग्रवाल | |
| 18. | कु.अर्चना उमरे | |
| 19. | कु.सविता गुप्ता | |
| 20. | कु.सुमित्रा पंसारी | |
| 21. | श्री राजेश शर्मा | |
| 22. | श्री राजेश मंगतानी | |
| 23. | श्री राजेश मंगतानी | |
| 24. | श्री राजेश मंगतानी | |
| 25. | श्री अंकित अग्रवाल – अ | |
| | कु. सुनीता रावत – सचिव | |
| | श्री कमलेश पाठक – उपाध | |
| | सहसचिव – श्री इस्मत सिंह | |

# शासकीय विवेकानन्द महाविद्यालय,
## मनेन्द्रगढ, जिला–कोरिया (छ.ग.)

# राष्ट्रीय सेवा योजना

## में पंजीयन हेतु आवेदन

बी-1/बी-2/सी/सही कोर्स टिक करें।

प्रवेश वर्ष 20..... - 20.....

पासपोर्ट साईज फोटो

1. विद्यार्थी का नाम ..... रक्त समूह .....
2. अ. पिता का नाम .....
   ब. माता का नाम .....
3. पिता का व्यवसाय ..... वार्षिक आय .....
4. वर्ग सामान्य/अनु.जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग .....
5. जन्मतिथि ..... उम्र .....
6. कक्षा ..... वर्ग ..... प्रवेश क्रमांक .....
7. स्थानीय पता .....
8. स्थाई पता ..... दूरभाष/मोबाईल .....
9. रा.से.यो. में वर्ष .....
10. विविध क्षेत्रों तथा विषयों में रूचि का संक्षिप्त परिचय :

| क्रमांक | विषय | गतिविधियों की जानकारी | भाग लिया या नहीं | नेतृत्व भागीदारी की इच्छा |
|---|---|---|---|---|
| 1. | खेलकूद (खेल का नाम) | | | |
| 2. | पर्यटन | | | |
| 3. | हस्तकला | | | |
| 4. | संगीत गायन / वाद्य | | | |
| 5. | नृत्यकला | | | |
| 6. | कविता, कहानी आदि | | | |
| 7. | पाक विद्या | | | |
| 8. | पाक विद्या | | | |
| 9. | प्राथमिक चिकित्सा | | | |
| 10. | वाद - विवाद | | | |
| 11. | अन्य | | | |

मैं प्रतिक्षा करता हूँ / करती हूँ कि समय-समय पर विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा बनाये गये रा.से.यो. संबंधी नियमों का पालन करूंगा / करूंगी ।

आवेदक के हस्ताक्षर

---

**(कार्यालयीन उपयोग के लिये)**

1. प्रवेश की तिथि ..... रजिस्ट्रेशन क्रमांक .....
2. निरस्त करने कारण .....

प्राचार्य

कार्यक्रम अधिकारी के हस्ताक्षर

Appe

## Form - I

## NATIONAL CADET CORPS

### National Cadet Corps Senior Division/Wing Enrolment Form

### (See Rule 7 and 11)

| | | |
|---|---|---|
| 1. | What is your Name ? (in Block Capitals) | 1. ..... |
| 2. | What is your parent/guardian's name | 2. Father's Name .....<br>Mother's Name .....<br>Guardian's Name .....<br>Cdts Identification marks .....<br>.....<br>Address .....<br>.....<br>..... |
| 3. | Are you a citizen of India or a subject of Nepal ? | 3. ..... |
| 4. | What is your village, Tehsil or Taluka | 4. Village .....<br>Tehsil or Taluka .....<br>District .....<br>Pin Code ..... |
| 5. | What is your Post Officer ? | 5. ..... |
| 6. | What is your Railway Station ? | 6. ..... |
| 7. | What are your education qualification ? | 7. ..... |
| 8. | What is your age & Date of Birth | 8. ..... |
| 9. | Have you ever been convicted by a Criminal Court and if so in what circumstances and what was the sentence ? | 9. ..... |
| 10. | In which School are you now stydying ? | 10. ..... |
| 11. | Are you willing to be enrolled under the National Cadet Corps Act 1948 ? | 11. ..... |
| 12. | In which unit do you desire to be enrolled ? | 12. ..... |
| 13. | Are you willing to undergo service training As specified in the Act and the rules made there under ? | 13. ..... |

14. Have you ever previously applied for enrolment under the Act. and if so with what result ? 14. ..............................

15. Have you been dismissed from the NCC/the Territorial Army or the Indian Armed Forces ? 15. ..............................

16. Next of kin with address (with relationship) 16. ..............................
..............................
..............................

17. Telephone No. (M)/R (as applicable) ..............................

18. Bank details

Bank Name ..............................

Bank Address ..............................

A/C Holder Name ..............................

A/C Holder Name ..............................

A/C No. | | | | | | | |

IFSC Code | | | | | | | |

Place : ....................

Dated : ....................

..............................

(Signature of the

Note : These are not included in the Form 1 of NCC Act & Rules.

## DECLARATION ON ACCEPTANCE FOR ENROLME

1.

is false, and that I am willing to fulfill the engagement made.

2.

may be required by the Commanding Officer from time to time.

3.

YEP or any other such NCC events like RDC. I understand, I have no service liability.

Place : ....................

Dated : ....................

..............................

(Signature of the

## DECLARATION BY PARENT/GUARDIAN

1. I Solemnly declare that the answers given in this form are true and that no part of them is false and that my son/daughter/ward is willing to fulfill that the engagement made.

2.

traveling and while on YEP or any other such NCC events like RDC and IDC.

Place : .....

Date : .....

.....

(Signature of Parent/Guardian)

## CERTIFICATE

Certified that the applicant and his parent/guardian understand and agree to the conditions of enrolment.

Place : .....

Dated of Enrolment .....

.....

(Signature of Enrolling Officer)

(Unit Seal)

## TO BE COMPLETED BY MEDICAL OFFICER BEFORE E

and consider him/her Fit/Unfit for enrolment as a Cadet in the National Cadet Corps.

Place : .....

Date : .....

Signature .....

Designation .....

(Medical Officer, w

## TO BE USED FOR EXTENSION OF ENROLMENT

**(See Rule 13)**

A. I agree to extend the enrolment for one year and am willing to fulfill.

I the engagement made.

Place : .....

Dated : .....

.....

(Signature of

Place : .....

Dated : .....

.....

(Signature of Comm

B. I agree to extend the enrolment of my son/daughter/ward for one year and am willi gagement made.

Place : .....

Dated : .....

.....

(Signature of Pa

Place : .....

Dated from which extension starts : .....

.....

(Signature of Head

Note : This form will be retained in the school in which the unit is located.

## APPENDIX 'A' DG NCC POLICY LETTER
## No. 19952/DGNCC/CWS/DT 05 Feb 91

## NOMINATION FORM

## FOR MEMBERSHIP OF THE NCC CADET WELFARE SOCIETY
## (To be retained at NCC Group HQ)

### Section - I

1. I Cadet (Name in block letters) .....

Son/Daughter of Shri (Name in block letters) .....

A student of Class ..... of (Name of College/School) .....

towards its membership fee.

2.
is Rs. ..... per annum.

3. I, Understand that I shall be entitled to Financial relief as determined by the Government Body Managing in an organized NCC activity. I hereby accept that the decision of the Governing Body/Managing Committee with biding on me.

4. I, hereby nominate the following person/persons who will receive financial assistance as per the share indi- on the following person (s) in the event of my death while participating in an organised NCC activity.

| Sr.No. | Name of the Nominees (in block letters) | Nominee (Age) | Relationship with the cadet | Permanent address of the nominee | Percentage of financial assistance Payable |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |

To be filled by the cadet in own band writing)

5. My membership in the welfare Society and this Nomination Form will be valid only till such time, remain a cadet in the Division or wing of the NCC to which I have been enrolled.

Place :.....

Date : .....

(Full Signature of the Cadet)